बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

आदेश

आ0सं0–01/स्था0 (न0प्र0)–12/2018..3015../न0वि0 एवं आ0वि0 पटना, दिनांक– 18-06-19

विभाग के अन्तर्गत संविदा पर कार्यरत श्री रणधीर किशोर, नगर प्रबंधक, पटना नगर निगम, पटना का विभागीय आदेश सं0 3466 दिनांक–30.06.2018 द्वारा स्थानान्तरण/पदस्थापन नगर परिषद, सीतामढ़ी में किया गया था। श्री किशोर द्वारा सीतामाढ़ी में योगदान नहीं किये जाने पर विभागीय पत्रांक 6632 दिनांक–26.12.2018 द्वारा नगर आंयुक्त, पटना नगर निगम को इन्हें विरमित करने का निदेश दिया गया। उक्त आदेश का अनुपालन प्रतिवेदन अप्राप्त रहने पर पुनः नगर आयुक्त को पत्रांक 620 दिनांक–24.01.2019 द्वारा 24 घंटे के अन्दर श्री किशोर को विरमित कर विभाग को सूचित करने का निदेश दिया गया, परन्तु नगर आयुक्त, पटना नगर निगम द्वारा इन्हें विरमित न कर अपने पत्रांक 1675 दिनांक–06.02.2019 द्वारा कार्य की अधिकता को देखते हुए इनकी सेवा पटना नगर निगम में वापस करने का अनुरोध किया गया।

2. लोक सभा निर्वाचन, 2019 के परिप्रेक्ष्य में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तीन वर्ष से अधिक अवधि से पदस्थापित कर्मियों को स्थानान्तरित करने हेतु निर्गत दिशा–निर्देश के आलोक में विभागीय आदेश सं0–736 दिनांक–18.02.2019 द्वारा श्री किशोर को दिनांक–20.02.2019 के अपराह्न से स्वतः विरमित करते हुए नगर परिषद, सीतामढ़ी में योगदान कर अवगत कराने का निदेश दिया गया। श्री किशोर से योगदान संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने पर विभागीय पत्रांक 1603 दिनांक–14.03.2019 द्वारा इनसे दो दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इसके बावजूद श्री किशोर द्वारा न तो अपने नवपदस्थापन स्थल पर योगदान दिया गया और न ही अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। पुनः विभागीय पत्रांक 1764 दिनांक–26.03.2019 द्वारा श्री किशोर को निदेश दिया गया कि वे नवपदस्थापन स्थल पर योगदान करते हुए विभागीय आदेश के अनुपालन में विलम्ब के सम्बन्ध में दो दिनों के अन्दर अपना स्पष्टीकरण समर्पित करें अन्यथा विभाग इनके विरूद्ध नियमानुकूल कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा। इसके बावजूद श्री किशोर द्वारा न तो नवपदस्थापन स्थल पर योगदान दिया गया और न ही स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। इस बीच पुनः नगर आयुक्त, पटना नगर निगम द्वारा पत्रांक 4015 दिनांक–28.03.2019 द्वारा श्री किशोर का उन्हें दिनांक–26.03.2019 को समर्पित आवेदन पत्र, जिसमें श्री किशोर द्वारा अपने वृद्ध माता–पिता के अस्वस्थ्य होने की बात कही गयी थी, भेजते हुए इनकी सेवा पटना नगर निगम में बनाये रखने का अनुरोध किया गया। इस संबंध में नगर आयुक्त को पत्र द्वारा सूचित किया गया कि श्री किशोर को विभाग द्वारा दिनांक–20.02.2019 की तिथि से स्वतः विरमित किया जा चुका है, फलस्वरूप वे अब पटना नगर निगम में कार्यरत नहीं रह गये हैं।

3. श्री किशोर को दिनांक 20.02.2019 की तिथि से कार्य से लापता मानते हुए विभाग द्वारा दैनिक समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से यह सूचना प्रकाशित करायी गयी कि यदि श्री किशोर द्वारा नवपदस्थापित नगर निकाय में 24 घंटे के अन्दर योगदान कर विभाग को सूचित नहीं किया जाता है तो इनकी संविदा सेवा समाप्त किये जाने संबंधी कार्रवाई के लिए विभाग स्वतंत्र होगा।

4. श्री रणधीर किशोर का दिनांक–11.04.2019 की तिथि में विभाग को दिनांक–15.04.2019 को एक आवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें इन्होंने अंकित किया था कि इनके द्वारा

दिनांक–10.04.2019 को सीतामढ़ी नगर परिषद में अपना योगदान दिया गया है, लेकिन ये पीलिया रोग से ग्रसित हैं एवं दिनांक–09.04.2019 को चिकित्सक द्वारा इन्हें चार सप्ताह का Bed Rest दिया गया है, इसलिए इन्हें चिकित्सकीय अवकाश स्वीकृत किया जाय। इन्होंने अपने आवेदन के साथ चिकित्सक के पुर्जा की छाया प्रति संलग्न की है, जिसके अवलोकन से ज्ञात होता है कि दिनांक–06.03.2019 की तिथि से इनके कथित बीमारी का ईलाज चल रहा है।

5. श्री किशोर द्वारा दिनांक–26.03.2019 को नगर आयुक्त, पटना नगर निगम को दिये गये आवेदन में अपने वृद्ध माता–पिता के अस्वस्थ्य होने की बात कही गयी है जबकि इनके द्वारा विभाग को दिये गये आवेदन में स्वयं के पीलिया रोग से ग्रसित होने एवं चिकित्सकीय पुर्जा के अनुसार दिनांक–06.03.2019 से ही ईलाज में रहने की चर्चा की गयी है। ये दोनों बातें विरोधाभासी हैं।

6. स्पष्ट है कि श्री किशोर द्वारा जान–बूझकर विभागीय आदेश की अवहेलना की गयी और पटना नगर निगम में ही पदस्थापित रहने देने के लिए अनुचित दबाव बनाने की कोशिश की गयी, जो अनुशासनहीनता, कर्त्तव्यहीनता एवं स्वेच्छाचारिता का द्योतक है। साथ ही इनके द्वारा दिनांक–10.04.2019 को सीतामढ़ी नगर परिषद में योगदान के पश्चात् अवकाश हेतु कार्यपालक पदाधिकारी को आवेदन न देकर सीधे विभाग को आवेदन दिया गया जो यह प्रमाणित करता है कि ये एक अनुशासनहीन संविदा कर्मी हैं तथा इन्हें सरकारी नियम–कानूनों की कोई जानकारी नहीं है।

7. श्री रणधीर किशोर, नगर प्रबंधक (संविदा) द्वारा जान–बूझकर विभागीय आदेश की अवहेलना करने, नवपदस्थापित नगर निकाय में योगदान न कर पटना नगर निगम में ही पदस्थापित रहने देने के लिए अनुचित दबाव बनाने का प्रयास किये जाने सम्बन्धी कृत्य को अनुशासनहीनता, कर्त्तव्यहीनता एवं स्वेच्छाचारितापूर्ण आचरण मानते हुए पत्रांक 2152 दिनांक--25.04.2019 द्वारा इनसे दो दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण की माँग की गयी कि इसके लिए क्यों नहीं इनकी संविदा समाप्त कर दी जाय, परन्तु इनके द्वारा स्पष्टीकरण प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया।

8. श्री रणधीर किशोर के सम्बन्ध में कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, सीतामढ़ी से ई–मेल से अद्यतन स्थिति की जानकारी मांगी गयी। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, सीतामढ़ी से ई–मेल के माध्यम से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार श्री किशोर दिनांक–10.04.2019 को नगर परिषद कार्यालय में अपना योगदान देते हुए स्वयं को बीमार बताकर तत्काल प्रस्थान कर गये। तत्पश्चात नगर परिषद कार्यालय में कोई सूचना प्राप्त नहीं होने के आलोक में संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा उनके ज्ञापांक–293 दिनांक–16.04.19 द्वारा श्री किशोर का योगदान अस्वीकृत कर दिया गया।

9. उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि श्री रणधीर किशोर, नगर प्रबन्धक (संविदा), नगर परिषद, सीतामढ़ी का कृत्य एक अनुशासनहीन, कर्त्तव्यहीन एवं स्वेच्छाचारी कर्मी का है और इनके इस कृत्य के कारण इनकी संविदा समाप्ति के अतिरिक्त विभाग के पास कोई अन्य विकल्प शेष नहीं है। अतएव, सम्यक् विचारोपरांत श्री रणधीर किशोर, नगर प्रबंधक (संविदा), नगर परिषद, सीतामढ़ी की संविदा तत्काल प्रभाव से समाप्त करते हुए इन्हें सेवामुक्त किया जाता है।

10. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(राम सेवक प्रसाद),
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–01 / स्था0 (न0प्र0)–12 / 2018................ / न0वि0एवं0आ0वि0, पटना / दिनांक–

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव / प्रधान सचिव के आप्त सचिव / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–02, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–01 / स्था0 (न0प्र0)–12 / 2018 3015 / न0वि0एवं0आ0वि0, पटना / दिनांक– 18-06-19

प्रतिलिपिः–जिला पदाधिकारी, पटना एवं सीतामढ़ी / नगर आयुक्त, नगर निगम, पटना / कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, सीतामढ़ी / श्री रणधीर किशोर, पूर्व नगर प्रबंधक (संविदा) **पत्राचार का पता**–C/o श्री राजकिशोर, ग्राम–जकरपुरा (नया टोला), पो0–सूरजगढ़ा, जिला–लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव। 18.6.19